रीतनाथ / उमाशंकर 305/11

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज़	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/6/16	[illegible] राजीव राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट [illegible] पर पेश हुई। पत्रावली न्यायालय [illegible] में वास्ते सुनवाई दिनांक 17/8/16 को पेश हो।	
17/8/16	वकुलाप उभ। तलबीका तामीला पेश करने का समय चाहते हुए अगामी तारीख पेशी के पुर्व आवश्यक रूप से पेश करें। अन्यथा आपत्ति खारिज कर दिया जायेगा। पत्रावली आगामी दिनांक 3/10/16 को पेश हो।	
3/10/16	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर वकीलों से आपस वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आगामी दिनांक 21.11.2016 .... को पेश हो	
21/11/16	वकुलाप उभय। तलबीका तामीला पेश करने का समय चाहते हुए व्यवहारिक के आपेक्ष आपत्ति किया गया है पत्रावली आगामी दिनांक 16/1/17 को पेश हो।	
16/1/17	वकुलाप उभ। तलबी पेश करने का समय चाहते हैं। वकील अपील/प्रतिवादी को तलबी पेश करने का अतिरिक्त एवं अन्तिम/न्यायहित में कई मौका दिये जाने के बावजुद भी तलबी पेश नहीं करते हैं यही का यह तलबी के फलस्वरूप जरिये O1 R5 CPC के फलस्वरूप यही का यह रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली कैमरा सुनाए आपत्ति किये पर्ची पृथक है। तलबी करने [illegible] सुनाए होकर नम्बर में रूप से नाम वकील साहब दाखिल दफ्तर नेस्त/खारिज जाय हो।	

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :–

1. सीताराम पुत्र जगदीश
जाति–बावरी, निवासी–सुरपुरा
तहसील–मेड़ता, जिला–नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. जगदीश पुत्र घेवर
2. मगदू पत्नि जगदीश
3. बांडू पुत्र जगदीश
4. माया पुत्री जगदीश
   नाबालिग जरिये कुदरती वलिया
   माता मगदू व पिता जगदीश
   जातियान–बावरी, निवासी–सुरपुरा
   तहसील–मेड़ता, जिला–नागौर
5. शारदा पत्नि दुर्गाराम
   जाति–बावरी, निवासी–ग्यास
6. पारकी पत्नि आसूराम
   जाति–बावरी, निवासी–रामपुरिया
   तहसील–बिलाड़ा, जिला–जोधपुर
7. इन्द्रा पत्नि गोरोजी
8. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
9. तहसीलदार, जैतारण
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली

मु0न0 :रा0वा0 स0:305/2011

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री हरिओम पारीक, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद खारिज किया जाता हैं। वकील वादी द्वारा तलबाना पेश नहीं करने एवं तलबी के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत् खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 16/01/2017 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–			मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner